

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 25/2025

बउनवान

सरकार जयें रमेश चंद मीणा, प्रवर्तन अधिकारी, (अटरू)

( प्रार्थी )

बनाम

श्री धनराज पुत्र श्री देवलाल, निवासी खेड़लीगंज अटरू, जिला बारां

( अप्रार्थी )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत  
उपस्थिति :- 1. परोकार रसद

( प्रार्थी )

निर्णय दिनांक 16.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक-दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी धनराज की दुकान प्रेम की कचौरी के पास खेड़लीगंज अटरू पर पहुंचे मौके पर श्री धनराज पुत्र श्री देवलाल, निवासी खेड़लीगंज अटरू उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स हिल ब्यू गैस एजेन्सी अटरू की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी बस स्टेण्ड अटरू पर ठेला लगाकर चाय, पोहा का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता आ रहा है तथा ठेले पर कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर लगा कर अपना व्यवसाय करता चला आ रहा है। प्रार्थी के ठेले के पास एक घरेलू गैस सिलेण्डर रखा हुआ था जिसको वक्त निरीक्षण जब्त कर लिया गया। प्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग नहीं किया। अतः प्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर प्रार्थी का जब्त किया गया घरेलू गैस सिलेण्डर वापस दिलवाये जाने की कृपा करें।

हमने बहस उभयपक्ष परोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी स्वयं की सुनी।

दौराने बहस परोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा एक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर

बहस के दौरान अप्रार्थी स्वयं ने कथन किया कि प्रार्थी अटरू बस स्टेण्ड पर ठेला करता आ रहा है जिस पर प्रार्थी चाय, पोहा आदि का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का पेट पालन सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक हेतु नहीं करेगा उक्त गलती के लिये प्रार्थी क्षमाप्रार्थी है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी की दुकान से जब्त किया गया गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने बहस के दौरान स्वयं घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 0151383, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रुपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/- रुपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स हिल व्यू गैस एजेन्सी अटरू को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



( रोहिताश्व सिंह तोमर )  
जिला कलेक्टर, बारां